

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर  
पत्रांक- 4369 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक जून, 28 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय- एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर, बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक-3179/11-सीFP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-03.04.2023  
महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक-03.04.2023 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 4314/रेनुकूट/15-6 दिनांक 23.06.2023 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा संस्तुति सहित निम्न प्रकार प्रेषित किया है :-

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-3179/11-सीFP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-03.04.2023 में उल्लिखित बिन्दु।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लीज अवधि प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर सही लीज अवधि प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि, ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लीज अवधि प्रमाण पत्र को डिलिट कराते हुए सही लीज अवधि प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करा दिया गया है।
2	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया कि, ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र को डिलिट कराते हुए संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करा दिया गया है।
3	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे0 क्षेत्रफल की SOI टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि, ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे0 क्षेत्रफल की SOI टोपोशीट अपलोड करा दिया गया है।
4	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है। अतः इसे डिलिट कर संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि, ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र को डिलिट कराते हुए संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर





	मे यथारथान पर अपलोड करे ।	अपलोड करा दिया गया है ।																			
5	<p>प्रस्ताव मे आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे० अवनत वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जिसमे वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू० 11,24,61,440/- का उल्लेख है तथा यह धनराशि भाग-2 मे भी अपलोड की गयी है, किन्तु आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सी०ए० की धनराशि रू० 11,26,01,425/- अवशेष की जाने वाली धनराशि के रूप मे बताया गया है । प्रस्ताव मे संलग्न प्राक्कलन एवं ऑनलाइन भाग-2 मे अपलोड की गयी धनराशि से यह धनराशि भिन्न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तव मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण मे सी०ए० हेतु कितनी धनराशि जमा की जानी होगी । अतः प्राक्कलन मे स्पष्ट उल्लेख करते हुये सही प्राक्कलन पस्ताव मे संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग-2 मे धनराशि सहित अपलोड करे ।</p>	<p>1- इस विन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि , प्रश्नगत प्रकरण मे प्रभावित 555.759 हे० वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि <math>555.759 \times 2 = 1111.518</math> हे० या 1112.00 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है , जिसका विवरण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" data-bbox="833 385 1538 788"> <thead> <tr> <th>क्र० सं०</th> <th>विवरण</th> <th>क्षेत्रफल (हे०मे)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे०मे)</td> <td>280.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे० + 643.759 हे० =</td> <td>832.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">कुल योग-</td> <td>1112.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2- उक्त 1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किये जाने हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" data-bbox="833 994 1538 2123"> <tbody> <tr> <td>1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र मे अंकित धनराशि रू० 136170/- प्रति हे० की दर के आधार पर आंकलित निर्धारित धनराशि (रू०मे०)</td> <td>280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू० 4969500/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद से पूर्व वर्ष 1997 मे प्रभाग मे जमा किया गया जिससे वर्ष 1999 मे प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया ।</td> <td>280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू० 32738115 /- कैम्पा मद मे जमा किया गया जिससे वनीकरण कार्य सम्पादित नहीं किया गया ।</td> <td>1112 हे० वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रू० 150309040/- मे से कालम संख्या- 2 पर अंकित 280.508 हे० वन भूमि पर वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि रू० 4969500/- घटाने के उपरान्त रू० 14,53,39,540 /- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित धनराशि रू० 145339540- रू० 32738115(का</td> </tr> </tbody> </table>	क्र० सं०	विवरण	क्षेत्रफल (हे०मे)	1	2	3	1	वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे०मे)	280.00	2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे० + 643.759 हे० =	832.00	कुल योग-		1112.00	1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र मे अंकित धनराशि रू० 136170/- प्रति हे० की दर के आधार पर आंकलित निर्धारित धनराशि (रू०मे०)	280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू० 4969500/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद से पूर्व वर्ष 1997 मे प्रभाग मे जमा किया गया जिससे वर्ष 1999 मे प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया ।	280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू० 32738115 /- कैम्पा मद मे जमा किया गया जिससे वनीकरण कार्य सम्पादित नहीं किया गया ।	1112 हे० वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रू० 150309040/- मे से कालम संख्या- 2 पर अंकित 280.508 हे० वन भूमि पर वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि रू० 4969500/- घटाने के उपरान्त रू० 14,53,39,540 /- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित धनराशि रू० 145339540- रू० 32738115(का
क्र० सं०	विवरण	क्षेत्रफल (हे०मे)																			
1	2	3																			
1	वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे०मे)	280.00																			
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे० + 643.759 हे० =	832.00																			
कुल योग-		1112.00																			
1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र मे अंकित धनराशि रू० 136170/- प्रति हे० की दर के आधार पर आंकलित निर्धारित धनराशि (रू०मे०)	280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू० 4969500/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद से पूर्व वर्ष 1997 मे प्रभाग मे जमा किया गया जिससे वर्ष 1999 मे प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया ।	280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू० 32738115 /- कैम्पा मद मे जमा किया गया जिससे वनीकरण कार्य सम्पादित नहीं किया गया ।	1112 हे० वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रू० 150309040/- मे से कालम संख्या- 2 पर अंकित 280.508 हे० वन भूमि पर वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि रू० 4969500/- घटाने के उपरान्त रू० 14,53,39,540 /- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित धनराशि रू० 145339540- रू० 32738115(का																		

K



			लम संख्या- 3 के अनुसार जमा धनराशि ) = रु0 112601425 कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है जिससे कुल 832 हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जायेगा ।
1	2	3	4
15,03,09,040. 00	49,69,500. 00	3,27,38,116.00	11,26,01,425 .00

संशोधित प्राक्कलन अपलोड करा दिया गया है ।

6 प्रस्ताव मे आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे0 आरक्षित वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जबकि आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र मे 561 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु पूर्व मे धनराशि रु0 3,77,07,615/- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किये जाने का उल्लेख है । इत्त संबंध मे प्रस्ताव मे यह स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि 561 हे0 अवनत वन भूमि मे से कितने हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य कराया जा चुका है एवं इस हेतु कितनी धनराशि व्यय हुई है तथः कितने अवनत वन भूमि पर अभी वनीकरण कार्य कराया जाना अवशेष है एवं इस हेतु कितनी धनराशि अभी कैम्पा मद मे जमा है ? प्रमाण पत्र मे यह स्पष्ट उल्लेख करे कि वनीकरण हेतु अवशेष अवनत वन भूमि को क्या 832 हे0 अवनत वन भूमि मे सम्मिलित किया गया है अथवा नही ?

1- इस विन्दु के अनुपालन मे प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि , प्रश्नगत प्रकरण मे प्रभावित 555.759 हे0 वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि  $555.759 \times 2 = 1111.518$  हे0 या 1112.00 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना है , जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	विवरण	क्षेत्रफल (हे0मे)
1	2	3
1	वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे0मे)	280.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे0 + 643.759 हे0 =	832.00
कुल योग-		1112.00

2- उक्त 1112 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किये जाने हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1112 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र मे अंकित धनराशि रु0 136170/- प्रति हे0 की दर के आधार पर आंकलित	280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रु0 4969500/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद से पूर्व वर्ष 1997 मे	280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रु0 32738115 /- कैम्पा मद मे जमा	1112 हे0 वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रु0 150309040 मे से कालम संख्या- 2 पर अंकित 280. 508 हे0 वन भूमि पर वर्ष
---	--	---	--

K

	निर्धारित धनराशि (रु०मे०)	प्रभाग में जमा किया गया जिससे वर्ष 1999 में प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया।	किया गया जिससे वनीकरण कार्य सम्पादित नहीं किया गया।	1999 में सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि रु० 4969500/- घटाने के उपरान्त रु० 14,53,39,540 /- कैम्पा मद में जमा किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित धनराशि रु० 145339540- रु० 32738115(काल संख्या- 3 के अनुसार जमा धनराशि) = रु० 112601425 कैम्पा मद में जमा किया जाना प्रस्तावित है जिससे कुल 832 हे० अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जायेगा।
1	2	3	4	
	15,03,09,040.00	49,69,500.00	3,27,38,115.00 11,26,01,425.00	
7	प्रकरण में प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्ताव में संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि, प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है।		
8	उपरोक्त इकित कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की एक पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा अवगत कराया है कि, प्रस्ताव में इकित कमियों का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की एक पी०डी०एफ० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में अलग-अलग पेनड्राइव संलग्न करा दिया गया है।		

अतः प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा प्रश्नगत बिन्दु की प्रेषित आख्या एतदसह संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,  
 (रमेश चन्द्र झा)  
 मुख्य वन संरक्षक  
 मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

सख्या- 4369 /अ/समदिनांक।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट को उनके कार्यालय पत्रांक-4314/रेनुकूट/15-6  
दिनांक 23.06.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)  
मुख्य वन संरक्षक  
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।  
K





कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट  
सोनभद्र - (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक-4314 /रेनुकूट /15-6 रेनुकूट,दिनांक,जून, 23, 2023  
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक  
मीरजारपुर क्षेत्र  
मीरजापुर ।

विषय:- एन०टी०पी०सी० रिहन्दनगर, बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सन्बन्ध में ।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-3179/11-सीFP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-03.04.2023 महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-03.04.2023 द्वारा इंगित कमियो का निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण एवं प्रभाग द्वारा करते हुए प्रस्ताव की संशोधित प्रति निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-3179/11-सीFP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-03.04.2023 में उल्लिखित बिन्दु ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लीज अवधि प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है । अतः इसे डिलिट कर सही लीज अवधि प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लीज अवधि प्रमाण पत्र को डिलिट कराते हुए सही लीज अवधि प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करा दिया गया है ।
2	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है । अतः इसे डिलिट कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र को डिलिट कराते हुए संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करा दिया गया है ।
3	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे० क्षेत्रफल की SOI टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे० क्षेत्रफल की SOI टोपोशीट अपलोड करा दिया गया है ।
4	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व



किया गया त्रुटिपूर्ण प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है । अतः इसे डिलिट कर संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करे ।

का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र को डिलिट कराते हुए संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करा दिया गया है ।

5 प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे० अवनत वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जिसमें वृक्षारोपण हेतु धनराशि ₹० 11,24,61,440/- का उल्लेख है तथा यह धनराशि भाग-2 में भी अपलोड की गयी है, किन्तु आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सी०ए० की धनराशि ₹० 11,26,01,425/- अवशेष की जाने वाली धनराशि के रूप में बताया गया है । प्रस्ताव में संलग्न प्राक्कलन एवं ऑनलाइन भाग-2 में अपलोड की गयी धनराशि से यह धनराशि भिन्न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में सी०ए० हेतु कितनी धनराशि जमा की जानी होगी । अतः प्राक्कलन में स्पष्ट उल्लेख करते हुये सही प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग-2 में धनराशि सहित अपलोड करे ।

1- इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्ररनगत प्रकरण में प्रभावित 555.759 हे० वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि  $555.759 \times 2 = 1111.518$  हे० या 1112.00 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	विवरण	क्षेत्रफल (हे०मे)
1	2	3
1	वर्ष 1999 में सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे०मे)	280.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान में प्रस्तावित 188.241 हे० + 643.759 हे० =	832.00
कुल योग-		1112.00

2- उक्त 1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किये जाने हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व में जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र में अंकित धनराशि ₹० 136170/- प्रति हे० की दर के आधार पर आंकलित निर्धारित धनराशि (₹०मे०)	280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि ₹० 4969500/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद से पूर्व वर्ष 1997 में प्रभाग में जमा किया गया जिससे वर्ष 1999 में प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया ।	280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ₹० 32738115/- कैम्पा मद में जमा किया गया जिससे वनीकरण कार्य सम्पादित नहीं किया गया ।	1112 हे० वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 में निर्धारित धनराशि ₹० 150309040/- में से कालम संख्या- 2 पर अंकित 280.508 हे० वन भूमि पर वर्ष 1999 में सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि ₹० 4969500/- घटाने के उपरान्त ₹० 14,53,39,540/- कैम्पा मद में जमा किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित धनराशि ₹० 145339540- ₹०
--	--	---	--



32738115(कालम संख्या- 3 के अनुसार जमा धनराशि) = रु0 112601425 कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है जिससे कुल 832 हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जायेगा ।

1	2	3	4
15,03,09,040.00	49,69,500.00	3,27,38,115.00	11,26,01,425.00

संशोधित प्राक्कलन अपलोड करा दिया गया है ।

6 प्रस्ताव मे आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे0 आरक्षित वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जबकि आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र मे 561 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु पूर्व मे धनराशि रु0 3,77,07,615/- प्रयोक्ता एजेसी द्वारा जमा किये जाने का उल्लेख है । इस संबंध मे प्रस्ताव मे यह स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि 561 हे0 अवनत वन भूमि मे से कितने हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य कराया जा चुका है एवं इस हेतु कितनी धनराशि व्यय हुई है तथा कितने अवनत वन भूमि पर अभी वनीकरण कार्य कराया जाना अवशेष है एवं इस हेतु कितनी धनराशि अभी कैम्पा मद मे जमा है ? प्रमाण पत्र मे यह स्पष्ट उल्लेख करे कि वनीकरण हेतु अवशेष अवनत वन भूमि को क्या 832 हे0 अवनत वन भूमि मे सम्मिलित किया गया है अथवा नही ?

1- इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि प्ररनगत प्रकरण मे प्रनापित 555.759 हे0 वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि 555.759 X 2 = 1111.518 हे0 या 1112.00 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना है , जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	विवरण	क्षेत्रफल (हे0मे)
1	2	3
1	वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे0मे)	280.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे0 + 643.759 हे0 =	832.00
कुल योग-		1112.00

2- उक्त 1112 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किये जाने हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1112 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र मे अंकित धनराशि रु0 136170/- प्रति हे0 की दर के आधार पर आंकलित निर्धारित धनराशि	280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रु0 4969500/-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद से पूर्व वर्ष 1997 मे प्रभाग मे जमा किया गया जिससे	280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रु0 32738115 /- कैम्पा मद मे जमा किया गया जिससे	1112 हे0 वन भूमि पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रु0 150309040 मे से कालम संख्या- 2 पर अंकित 280.508 हे0 वन भूमि पर वर्ष 1999 मे सम्पादित किये
--	--	--	--



		(रु0मे0)	वर्ष 1999 में प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया ।	वनीकरण कार्य सम्पादित नहीं किया गया ।	गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि रु0 4969500/- घटाने के उपरान्त रु0 14,53,39,540 /- कैम्पा मद में जमा किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित धनराशि रु0 145339540- रु0 32738115(काल संख्या- 3 के अनुसार जमा धनराशि) = रु0 112601425 कैम्पा मद में जमा किया जाना प्रस्तावित है जिससे कुल 832 हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जायेगा ।
		1	2	3	4
		15,03,09,040.00	49,69,500.00	3,27,38,115.00	11,26,01,425.00
7	प्रकरण में प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्ताव में संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्ताव में संलग्न करा दिया गया है ।			
8	उपरोक्त इकित कमियों का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, प्रस्ताव में इंगित कमियों का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में अलग-अलग पेनड्राइव संलग्न करा दिया गया है ।			

संलग्नक:-उपरोक्तनुसार ।

सामान्य

भवदीय

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

प्रतिलिपि : उप महाप्रबन्धक(मा0सं0) एन0टी0पी0सी0 रिहन्द सुपर शर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर जिला-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उक्त प्रस्ताव के स्वीकृति के संबंध में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

4834  
33  
30/12/20

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)  
प्रभागीय वनाधिकारी  
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट



एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर , बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्रो के संबंध मे प्रमाण पत्र ।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना मे प्रभावित 555.759 हे0 वन भूमि के दुगुने अवतन वन भूमि  $555.759 \times 2 = 1111.518$  हे0 या 1112.00 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है , जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	विवरण	क्षेत्रफल (हे0मे)
1	2	3
1	वर्ष 1999 मे एन0टी0पी0सी0 द्वारा जमा धनराशि से सम्पादित किये गये अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे0मे)	280.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे0 धारा-20 का वह क्षेत्र जो एन0टी0पी0सी0 से वापस लिया गया है + 643.759 हे0 नया अवनत वन क्षेत्र = 832.00 ha	832.00
कुल योग-		1112.00

उक्त 1112 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किये जाने हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1112 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र मे अंकित धनराशि रू0 136170/- प्रति हे0 की दर के आधार पर आंकलित निर्धारित धनराशि (रू0मे0)	280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू0 4969500/-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद से पूर्व वर्ष 1997 मे प्रभाग मे जमा किया गया जिससे वर्ष 1999 मे प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया ।	280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 32738115/- कैम्पा मद मे जमा किया गया जिससे वनीकरण कार्य सम्पादित नही किया गया ।	1112 हे0 वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रू0 150309040.00 मे से कालम संख्या- 2 पर अंकित 280.508 हे0 वन भूमि पर वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि रू0 49,69,500.00 घटाने के उपरान्त रू0 14,53,39,540/- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित धनराशि रू0 14,53,39,540.00 - रू0 3,27,38,115.00 (कालम संख्या- 3 के अनुसार जमा धनराशि) = रू0 11,26,01,425.00 कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कुल 832 हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जायेगा ।
1	2	3	4
15,03,09,040. 00	49,69,500. 00	3,27,38,115.00	11,26,01,425 .00

(मु0 ग्यारह करोड़ छब्बीस लाख एक हजार चार सौ पचीस मात्र)

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट